तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही गय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 393/2024 अनवान वीर तेजाजी शिक्षण संस्थान बनाम आदूराम वगैराह**	नम्बर व तारीखअहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए

14/08/2025

आदेश

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील तथा अप्रार्थी संख्या 01 के वकील उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण ईकतरफा। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा नांद हल्का नांद तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 813/241 रकबा 0.1619 हैक्टयर, भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है। वकील अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा जवाब प्रस्तुत नही किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 का जवाब बन्द किया गया।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 ने निवेदन किया कि अप्रार्थी 01 के खेत की सीमाओं को छोड़कर एवं अप्रार्थीगण की उपस्थिति में प्रार्थीगण के खेत की नेखमबन्दी की जाती है तो उन्हे कोई आपति नही है।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है जो उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया प्रार्थी मौजा नांद हल्का नांद तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 813/241 रकबा 0.1619 हैक्टयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व प[illegible] नहीं करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्दे[illegible] 14.08.19 [illegible]नजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/— अक्षरे एक हजार [illegible] सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अ[illegible] की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उप खण्ड अधिकारी
बाडमेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Yashant Shekhar
Date: 2025.10.25 12:20:19 IST
Reason: SelfAttested